कार्यालय, नगर पंचायत बहादुरगंज जिला–किशनगंज।

पत्रांक 968 /

प्रेषक :– कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत बहादुरगंज।

सेवा में,
महालेखाकार,
बिहार पटना।

न0पं0,बहादुरगंज, दिनांक 26 / 11 /2018

विषय :– नगर पंचायत बहादुरगंज के वर्ष 2010–11 से 2012–13 के अंकेक्षण का अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–617/2013–14 के अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के आलोक में कहना है कि नगर पंचायत बहादुरगंज के वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक के लेखा का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा पटना द्वारा करने के पश्चात तत्संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–617/13–14 का कंडिका का अनुपालन प्रतिवेदन सश्क्त स्थायी समिति से अनुमोदन कराकर भेजा जाता है।

कृपया अनुपालन प्रतिवेदन स्वीकार किया जाय।

विशवासभाजन

अनुलग्नक :– यथोक्त।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत बहादुरगंज।

ज्ञापांक 968 / दिनांक 26.11.18 /

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत बहादुरगंज।

कार्यालय, नगर पंचायत, बहादुरगंज (जिला–किशनगंज)।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–617/2013–14

अवधि – 2010–11 से 2012–13 का अनुपालन प्रतिवेदन

क्र0 सं0	कंडिका संख्या	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	अनुपालन	साक्ष्य	टिप्पणी	आदेश
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	1	प्रस्तावना	अनुपालन नहीं			
2	2	प्रशासन	अनुपालन नहीं			
3	3	लेखा परिक्षा का कार्य क्षेत्र	अनुपालन नहीं			
4	4	महत्वपूर्ण लेखा परिक्षा परिणाम	संबंधित कंडिका पर अनुपालन अंकित है।			
5	5	पुर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन	पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण कार्यालय को भेजा गया है। विवरण निम्न प्रकार है। क्र0 — अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या — भेजने का पत्रांक दिनांक 1 — 606/06-07 (98-99 to 2004-05) — 32/22.01.2015 2 — 542/10-11 (2005-06 to 2009-10) — 76/11.02.2014			
6	6	आन्तरिक लेखा परीक्षा	भविष्य के लिये स्वीकार किया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा चयनित/प्राधिकृत मनमोहन सिंह एण्ड कम्पनी रॉची के माध्यम से वित्तीय वर्ष–2014–15 का आन्तरिक अंकेक्षण कराया गया है।			
7	7	बजट	वित्तीय वर्ष–2010–11 एवं 2011–12 का बजट नहीं बनाने के कारण अप्राधिकृत व्यय 2010–11 रू0 5560271.00 एवं 2011–12 का रू0 4852215.00 में किया गया व्यय बोर्ड की बैठक दिनांक–........................... प्रस्ताव सं0..........................द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। अन्य व्ययक में अन्तर का कारण वित्तीय वर्ष की चालू अवधि में सरकार एवं अन्य प्राधिकार से प्राप्त आवंटन तथा व्यय में पूर्व वर्ष का अंतशेष चालू वर्ष में जोड़कर व्यय किया जाता है इसलिए यह अन्तर स्वभाविक है फिर भी भविष्य में इस अन्तर पर ध्यान देते हुए सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार बजट बनाया जायेगा।			
8	8	आय–व्यय (i) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	(i) बैंक खाता को अद्यतन कर लिया गया है लेखा बही को सुधार कर लिया गया है, अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।			

		(ii) (क) (ख) एकादश व द्वादश वित्त एवं 13वॉ वित्त आयोग अनुदान	(ii) एकादश व द्वादश एवं 13वॉ वित्त आयोग अनुदान योजना सरकार से बंद कर दिया गया है। अब 14 वीं वित्त आयोग योजना प्रारंभ है। तीन आयोग योजना के लेखा को सुधार कर तथा 13वॉ वित्त की राशि को कोषागार से निकासी कर बैंक खाता में जमा कर संम्पूर्ण लेखा को अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।			
		(iii) विविध रोकड बही	लेखा परीक्षा टिप्पनी में दर्शायी गई आपत्ति एवं निर्देश का पालन करते हुए लेखा को सुधार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा। आय व्यय सार भी प्रस्तुत किया जायेगा।			
		(iv) स्ववित्त पोषित				
		(v) शिक्षा गारंटी केन्द्र				
		(vi) बालिका समृद्वि योजना				
		(vii) गन्दीबस्ती योजना				
		(viii) पार्षदों भत्ता				
		(ix) जनगणना				
		(x) होल्डिंगकर				
		(xi) वेतन				
		(xii) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग				
		(xiii) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना				
9	9	रोकड़ बहियों एवं बैंकों का अंतशेष राशि	31.03.2013 को अन्तशेष में दिनांक–12.09.2012 को दिखाया गया कुल व्यय 90.00 रू0 05.09. 2016 को सामान्य रोकड़ बही में घटाकर अन्तशेष सुधार कर दिया गया है। लेखा परीक्षा में दर्शायी गई आपत्ति एवं सुधार का अनुपालन करते हुए अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।			
10	10	सरकारी अुदान	वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2012–13 का उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को भेजा गया है तथा सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग से विभिन्न पत्रों द्वारा महालेखाकार बिहार पटना को भेजा गया है। जो अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।			

11	11	तेरहवीं वित्त	अन्य व्यय के लिए कर्णांकित राशि 31,12,037.00 में 16,87,864.00 नगर परिषद एवं जनता के हित में सड़क निर्माण पर व्यय किया गया। इसलिए कि अन्य मदों में व्यय करने की क्षमता नहीं थी। यह व्यय बोर्ड की अनुमति पर किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से भी सड़क/नाला निर्माण के प्रावधान नहीं रहने से लोगों की मांग को देखते हुए विभाग द्वारा सड़क/नाला पर व्यय करने का भी निर्देश दिया गया है। ऐसी स्थिति में अनियमित्ता व्यय को मान्य करते हुए आपत्ति निरस्त किया जाना चाहिए।			
12	12 (i)	अनुदान का अवरोधन	अव्यवहृत अनुदान की राशि के अवशेष का विवरण निम्न प्रकार है:– 1. बलिका समृद्वि योजना 25,000.00 सरकार के शीर्ष में वापस जमा कर दिया गया है। 2. जनगणना 914.00 रू0 संबंधित शीर्ष में वापस कर दिया जायेगा। 3. E-Gov. 37,104.00 व्यय किया गया है। 4. गंदी बस्ती योजना 2,18,421.00 सरकार के शीर्ष में जमा कर दिया गया है। 5. ट्रेक्टर क्रय 33,649.00 व्यय किया गया है। 6. नगर प्रबंक का मानदेय 1,40,000.00 व्यय कर दिया गया है।	**चालान द्वारा राशि संबंधित शीर्ष में वापस जमा कर दी गई है। अनु0 01 से 02 तक।**		
	12 (ii)	एकादश तथा द्वादश वित्त आयोग का अनुदान का अव्यवहृत। अवरोधन	अव्यवहृत राशि 44,98,259.00 के उपयोग के लिए योजना का चयन किया गया है एवं निविदा भी आमंत्रित उपभोग कर अनुपालन अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।			
13	13	सामाजिक सुरक्षा	2012–13 में कुल आवंटन 38,47,200.00 प्राप्त था तथा आवंटन से 33,23,000.00 अग्रिम दिया गया। कुल 38,47,200.00 अग्रिम सहित उपभोग एवं अग्रिम समायोजन कर लिया गया है।			
14	14	स्वीकृत बल व कार्यरत बल	क्र0 / पद का नाम / स्वीकृत बल / कार्यरत बल / रिक्त पदों की संख्या 01 / प्रधान सहायक –सह लेखापाल / 01 / 01 / 0 02 / टैक्स दारोगा / 01 / 01 / 0 03 / सफाई जमादार / 01 / 01 / 0 04 / आदेशपाल / 01 / 01 / 0 05 / मेहतर/मेहतरानी / 05 / 02 / 03			
15	15	कम जमा/नहीं जमा	निम्नांकित कर संग्रहकर्ताओं द्वारा जमा नहीं की गई कर संग्रह की राशि अंकेक्षण के बाद निम्नांकित तिथियों को नगर पंचायत कोश में जमा किया गया। (1) हीरा लाल राम क्र0 / रसीद / राशि / जमा का विवरण			

	का विवरण		जमा की गई राशि	कम/नहीं जमा की राशि	अंकेक्षण के दौरान जमा की गई राशि	अवशेष राशि	तिथि	जमा की गई राशि	शेष	
1	4258	150	120	30						
2	1888 to 1898	12910		12910						
3	1900	1480		1480	55314	80451		80451	शुन्य	संग्रहकर्ता द्वारा जमा नहीं की गई राशि को अंकेक्षण के पश्चात राशि जमा कर दी गई है। बैंक स्लिप की छाया प्रति अनु0—03
4	5151 to 5198	55227		55227						
5	5051 to 5100	65818		65818						
		135585	120	135465	55314	80451		80451	शुन्य	
कुल :— 80,451.00 कुल जमा राशि :— 80,451.00										
(2) मो0 इस्तेहार आलम										
6	4501 to 4600	41840								
7	3201 to 3300	61711								
8	1901 to 2000	42991								
9	2101 to 2200	66711	163980	142889	Nil	142889		142889	शुन्य	संग्रहकर्ता द्वारा जमा नहीं की गई राशि को अंकेक्षण के पश्चात राशि जमा कर दी गई है। बैंक स्लिप की छाया प्रति अनु0—04
10	201 to 250	18814								
11	301 to 350	23334								
12	5101 to 5150	51468								
		306869	163980	142889	Nil	142889		142889	शुन्य	
कुल :— 1,42,889.00 कुल जमा राशि :— 1,42,889.00										

													Remark		
			(3) मो0 नईम अख्तर, कर दारोगा।												
			13	751 to 760	16611	Nil	16611	Nil	68060		68060	शुन्य	संग्रहकर्ता द्वारा जमा नहीं की गई राशि को अंकेक्षण के पश्चात राशि जमा कर दी गई है। बैंक स्लिप की छाया प्रति अनु0–05		
			14	770 to 800	12276		12276								
			15	301 to 3818	7850		7850								
			16	3819 to 3884	31323		31323								
					68060		68060		68060		68060	शुन्य			
			कुल :– 68,060.00 कुल जमा राशि :– 68,060.00												
			(4) मो0 ताहीर												
			17	5221 to 5250	28541	0	28541	31241	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य			
			18	2549	5200	2500	2700								
					33741	2500	31241	31241	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य			
			कुल :– 31,241.00 कुल जमा राशि :– 31,241.00												
16	16	गृहकर में विलम्ब शुल्क की वसूली	वित्तीय वर्ष 2017–18 से विलम्ब शुल्क की वसूली की जा रही है।												
17	17	शिक्षा तथा स्वास्थय उपस्कर का अधिरोपन नहीं	बिहार नगरपालिका कर एवं गैरकर वसूली संग्रह नियामावली 2013 को बोर्ड की बैठक से निर्णय कराकर नियमानुसार वसूली संग्रह की कार्रवाई की जायेगी। अधिसूचित क्षेत्र समिति से नगर पंचायत के बोर्ड से निर्णय नहीं लेने के कारण शिक्षा/स्वास्थ्य उपस्कर का अधिरोपन नहीं किया गया है। वर्तमान में सम्पूष्टि कर लागू होने के फलस्वरूप कार्रवाई की जायेगी।												
18	18	बस पड़ाव की बन्दोबस्ती	वर्ष 2010–11 से 2012–13 की बन्दोबस्ती के माध्यम से तथा विभागीय वसूली द्वारा भी की गई। विभागीय वसूली तथा डाक की राशि जमा हो चुकी है। प्रत्येक तीन वर्ष पर सुरक्षित जमा में वृद्वि का प्रश्न है तो स्पष्ट करना है कि जानकारी के अभाव में तथा राजस्व विभाग का पत्रांक–2 रा0 दिनांक–08.01.82 के उपलब्ध नहीं रहने के कारण भूल हुई है। इससे यह भी कारण है कि बस पड़ाव का कभी डाक हुआ कभी विभागीय वसूली हुई। इसी उदभेदन में वास्तविक तथ्य से नगर पंचायत भटक गई। और 15% की वृद्वि की कार्रवाई नहीं हो पायी। भविष्य में राजस्व विभाग के निर्देश का अनुपालन किया जोयगा। अनुरोध है कि इस आत्ति को निरस्त करने की कृपा की जाय।												

19	19	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	1. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 30.00 लाख रूप्या आवंटन किया गया था जिसमें 40 प्रतिशत कुल कुल 12.00 लाख रूप्या प्रशिक्षण पर व्यय करना था। सरकार का यह भी निर्देश था कि उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने के बाद आवश्यकता अनुसार राशि आवंटित की जायेगी इसी निर्देश के आलोक में 240 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण देने का आदेश दिया गया था। 2. इस योजना के संचालन के लिये कार्यपालक पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, थे इसलिए उनके द्वारा योजना संचालन/कार्यान्वयन कराया गया। 3. प्रशिक्षण शुल्क 6000–7000 सरकार द्वारा निर्धारित था। कार्यपालक पदाधिकारी, अधिकतम 7000/– प्रति प्रशिक्षणार्थी 6800/– तय किया गया। जो निर्धारित राशि से कम था। 4. सरकार से आवंटन के प्रत्यासा में आवंटन की राशि 12.00 लाख से अधिक प्रशिक्षण कार्य कराया गया। शेष राशि 14.40 लाख सरकार से आवंटन आने पर किया जायेगा। आवंटन के लिए इस कार्यालय के पत्रांक–89 दिनांक–06.04.2013 से मांग किया गया है। 5. अवशेष राशि 2,26,094.00 रू0 2012–13 का शेष राशि 18.00 लाख का घटकवार व्यय उचित एवं सक्रिय अभ्यार्थी के नहीं मिलने के कारण व्यय नहीं हो सका। इस संबंध में प्रशिक्षण कार्य के दायित्व को पुरा करने हेतु सरकार से अनुरोध किया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा। कार्य की अवश्यकता को देखते हुए तीन किस्त के बजाय दो किस्त में 12.00 लाख रूपया भुगतान किया जो आवंटन से अधिक नहीं था। (A) प्रशिक्षण के नाम में परिवर्तन का कारण यह है कि जिन प्रशिक्षकों को संस्था नामित किया वे लोग काम नहीं किये इसलिए दुसरे प्रशिक्षक प्रशिक्षण दिये जिन्हें भुगतान संस्था ने किाया। स्पष्ट है कि जो प्रशिक्षक प्रशिक्षण दिये उन्हें ही भुगतान किया गया था। (B) कम्प्यूटर प्रशिक्षकों को अधिकतम भुगतान i प्रशिक्षक शुल्क 600/– के बदले 8000/– भुगतान का कारण यह था कि कम्प्यूटर प्रशिक्षक 6000/– में तैयार नहीं थे। चूँकि प्रशिक्षण कार्य लेना था इसलिए मजबुरी वश संस्था द्वारा 8000/– के दर से भुगतान किया गया। इस क्रिया को करने के निमित संस्था की सूचना में लाया गया तो वे उपरोक्त आशय का उत्तर दिये। ii संस्था द्वारा बताया गया कि दो जगह चयन को परन्तु प्रशिक्षाणार्थियों की सख्या के अनुसार चयन स्थल कम पर रहा था। इसलिए प्रशिक्षण स्थान चार का चयन कर प्रशिक्षण दिया गया। C संस्था द्वारा श्री मनोज कुमार को को—ऑडिनेटर नियुक्त किया गया था। D . B (ii) में अनुपालन E. संस्था का निबंधित कार्यालय छपरा है तथा प्रशासनिक कार्यालय पटना में है। इसलि वे पटना एवं छपरा में कच्चा माल की खरीद किया। संस्था द्वारा यह भी बताया है कि बहादुरगंज बाजार में खुदरा दुकान्दार थे। इसलिए पटना एवं छपरा में थोक माल में कच्चा माल खरीदे। E.G.H.I.J संस्था का 14.40 बकाया है। अंतिम भुगतान देते समय उनकी उपस्थिति में अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन कराते हुए पूर्ण अनुपालन अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।		

20	20	दैनिक मजदुरों का भुगतान	नगर पंचायत की स्थापना 1975 में हुई है। तत्समय 04 वार्ड थे। वर्ष 2002 में 14 तथा वर्ष 2007 में 18 वार्ड थे जो वर्तमान में है। इसका क्षेत्रफल 40 वग्र कि0मी0 है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या–37049 है। स्थापना के समय सरकार द्वारा 9 पद स्वीकृत किये गये थं। कार्यरत बल मात्र 5 है। यह बात सही है कि सरकार द्वारा सभी प्रकार की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह स्पष्ट है कि संस्था को बंद कर देना चाहिए। परन्तु यह विचार है कि नगर पंचायत की स्थापना जनहित में की गई है। नागरिकों को मूल भूत सुविधा उपलब्ध कराना इसका कर्तव्य है। इसलिए नगर पंचायत अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का पालन के लिए दैनिक मजदुरी एवं संविदा पर कर्मी रखते हैं। ऐसी स्थिति में भुगतान की गई राशि अनापत्ति पूर्ण है। आपत्ति के अधिन की राशि की आपत्ति को निरस्त करने की कृपा की जाय।			
21	21	जनगणना	सहायक शिक्षक रूकैया खतुन का विपत्र पर 750/– प्रमाणित हस्ताक्षर ले लिया गया है। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।			
22	22	योजना का भौतीक स्थिति	अनुपालन शुन्य			
23	23	योजना अग्रिम का समायोजन नही।	(1) अग्रिम समायोजन की कार्रवाई की जा रही है एवं अनपयुक्त अग्रिम की वसूली की भी कार्रवाई की जा रही है। अगर अभिकर्ता द्वारा अग्रिम का समायोजन नहीं कराते हैं तो उनके विरूद्व प्राथमिकी दर्ज की जायेगी। इस आशय की सूचना/आदेश संबंधित अभिकर्ता को दिया गया है। (2) यो0 सं0–02/98–99, 02/2007–08 एवं 07/99–2000 पुरानी योजना है। इनकी समीक्षा कर सबंधित से वसूली की कार्रवाई की जा रही है। (3) अग्रिम के विरूद्व अभिकर्ता द्वारा कराये गये कार्य के मूल प्राक्कलित राशि के अधिन है। किये गये कार्य के अनुसार अग्रिम समायोजित कर भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। (4) योजनाओं को अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा तथा अग्रिम वसूली/समायोजन अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।			
24	24(1)	आयकर कटौती नहीं करने से 3.27 लाख की हानि	2012–13 तक के संवेदकों के विपत्र से आयकर कटौती की नहीं थी। आयकर कटौती के संबंध में आयकर विभाग से कोई निर्देश भी प्राप्त नहीं था। इस अंकेक्षण दल के बताने पर 2013–14 से आयकर की कटौती 2.266% की जा रही है। अंकेक्षक द्वारा 2.26% आयकर कटौती की दी गई है। जबकि संवेदक 1% तथा 2% आयकर कटौती का दबाव देते आ रहे हैं। कौन दर कब से लागू है से कार्यालय अनभिज्ञ है। आयकर विभाग से मार्ग निर्देश की मांग की गई है।			
	24(2)	सुरक्षित जमा का कटौती	सुरक्षित जमा 5% काटने का प्रथा नहीं था। जानकारी होने पर वर्ष 2016–17 से 5% सुरक्षित जमा की कटौती की जा रही है।			
	24(3)	10% की राशि की कटौती नहीं	5 वर्ष तक रख रखाव की राशि प्राक्कलन में रहने से ही 10% की कटौती होनी चाहिए प्राक्कलन में रख रखाव का प्रावधान नहीं था। इसलिए 10% नहीं काटा गया।			
25	25	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	बंद पड़ी दो सोलर लाईट की मरम्मति कराकर जलवाया गया था। परन्तु उसका अंतिम भुगतान लम्बित है। सोलर लाईट जिला योजना के आर्थिक कार्य योजना में शामिल था। तथा जिला पदाधिकारी, किशनगंज की अध्यक्षता में सहित क्रय समिति के निर्णय के आलोक में उनके आदेशानुसार ज्ञापांक–681 दिनांक–19.06.2009 से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त सोलर लाईट खरीदा गया था। संबंधित कार्रवाई को अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।			

26	26	अनियमित भुगतान	योजनाओं में प्रयुक्त होने वाले खनीज यथा बालू मिटटी का संवेदक सीनीय या जिला स्तर पर बिक्री करने वाले खनीज दुकान्दार से खरीदते हैं। बिक्री करने वाले खनीज दुकान्दार खदान से खनीज का मूल्य चुका कर तथा भाड़ा लगाकर बिक्री स्थल पर लाते हैं। जब खनिज दुकानदार भाड़ा देकर खनीज लाते हैं तो संवेदक से भाड़ा सहित मूल्य प्राप्त करेगें। सबसे बड़ी विडम्बना है कि आयकर बिक्रीकर रॉयलटी या अन्य कटौती नगर पंचायत को करनी है। कटौती की परिधि में में नगर पंचायत को रखा गया है। तो संबंधित विभाग द्वारा सभी नगर निकाय सहित नगर पंचायत को आदेश/निर्देश देना चाहिए। विभाग के अभाव में विहित कटौतीयॉ नहीं हो पाती हैं। फिर भी इस विषय पर कार्रवाई की जायेगी। भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।			
27	27	क्षतिपूर्ति शुल्क 4,59,150.00 की कटौती नहीं	समय पर योजना पूर्ण नहीं करने के विरूद्व क्षतिपूर्ति शुल्क काटने की कमी परम्परा नहीं रही है। पी0ड0डी0 कोड को नगर पंचायत द्वारा एडप्ट करने के प्श्चात कोड के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। नगरपालिका अधिनियम एवं नगरपालिका नियामवली में यह प्रावधान नहीं है। नगर पंचायत बोर्ड द्वारा पी0डब्लू0डी0 कोड की सुसंगत धारा को एडप्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। तत्पश्चात क्षतिपूर्ति शुल्क काटने की कार्रवाई की जा सकेगी तथा संवेदक भी अवगत हो जायेगें। कृपया अनुपालन स्वीकार किया जाय तथा आपत्ति को निरस्त करने की कृपा की जाय।			
28	28	असमायोजित अग्रिम राशि 28.65 लाख	प्रशासनिक भवन से संबंधित मापी पुस्त मास्टर रोल तथा अभिश्रव प्रस्तुत करने के लिए इस कार्यालय के **पत्रांक–251 दिनांक**–08.10.2012 से अभिकर्ता को सूचित किया गया था। अभिकर्ता ने 28.65 लाख अग्रिम के विरूद्व 28.02 लाख का मापी पुस्त दर्ज है। समायोजन की कार्रवाई की जा रही है।			
29	29	श्रम सेस	संवेदकों को विपत्र से वर्ष 201–11 से श्रमसेस की कटौती की जा रही है। कटौती की गई राशि 1. चेक सं0– 252293 दिनांक–06.04.2015 राशि 35,641.00 रू0 2. चेक सं0–503009 दिनांक–06.04.2015 राशि 50,478.00 रू0 3. चेक सं0–252294 दिनांक–06.04.2015 राशि 64,251.00 रू0 4. चेक सं0–252295 दिनांक–06.04.2015 राशि 175.00 रू0 द्वारा सचिव, बिहार भवन सन्निर्माण कल्यान बोर्ड पटना को श्रम कार्यालय किशनगंज के माध्यम से जमा कर दिया गया है। शेष श्रम कटौती की राशि संबंधित संवेदकों से वसूल कर संबंधित शीर्ष में जमा किया जायेगा।	**श्रम शेष में जमा की गई राशि योजनावार सूची की छाया प्रति अनु0–06 से 09 तक।**		
30	30	रॉयलटी की राशि प्रेषण नहीं	रॉयलटी की राशि संबंधित शीर्ष में नियमानुसार जमा कर दिया गया है। 1. चेक सं0–844171 दिनांक–30.10.2017 राशि 236432.00 2. चेक सं0–503014 दिनांक–30.10.2017 राशि 220448.00 3. चेक सं0–930760 दिनांक–30.10.2017 राशि 570694.00	**खानन पदाधिकारी, किशनगंज को रॉयलटी मद में जमा की गई राशि का चेक की छाया प्रति अनु0–10 से 12 तक।**		

31	31	अग्रिम	अग्रिम वसूली का विवरण निम्न प्रकार है:–					
			(1) श्री फल कुमार राय,					
			बकाया	दिनांक	वसूली/समायोजन	शेष		
			3944690	13.10.12	1872400			
				07.02.13	1291600			
				07.02.13	40000			
				10.09.14	85000			
					3289000			
				20.06.13	361500			
				20.06.13	192865			
			3944690		3843365	101325		
			(2) मो0 नईम अख्तर,	–	–	57490		
			(3) अंचल पदाधिकारी	–	–	1000		
			(4) भोला मल्लिक	–	–	5500		
			4008680	–	3843365	165315		
			शेष अग्रिम की वसूली/समायोजन हेतु संबंधित को सूचित किया गया है। शीघ्र ही वसूली/समायोजित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।					
32	32	कार्यपालक पदाधिकारी से वार्ता	–					
33	33	लेखा परिक्षा परिणाम	संबंधित कंडिका में अनुपालन दर्शाया गया है					
34	34	सामान्य अभ्युक्ति	दिये गये सुझाव/निर्देश को स्वीकार करते हुए अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी।					

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, बहादुरगंज।